

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1901 / 214 / आउशि / सम. / 2021
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक... 02/9/21

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय छ.ग.।
2. प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय छ.ग.।

विषय :-
संदर्भ :-

शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश तिथि में वृद्धि बाबत।

अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र. क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 दिनांक
01.09.2021

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 दिनांक 29.06.2021 से छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किया गया था।

उक्त अनुक्रम में शासन के संदर्भित पत्र से कोविड-19 संक्रमण एवं पोस्ट कोविड प्रभाव के कारण एवं छात्रहित में सीट रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु प्राचार्य स्तर से दिनांक 17.09.2021 तक एवं कुलपति की अनुमति से दिनांक 30.09.2021 तक प्रवेश दिये जाने की तिथि में राज्य शासन द्वारा प्रवेश तिथि में वृद्धि की गई है।

शासन निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए स्वीकृत सीट्स के विरुद्ध शत-प्रतिशत प्रवेश कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ0क्रमांक /
प्रतिलिपि :-

/ 214 / आउशि / सम / 2021

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक / 09 / 2021

अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, 01/09/2021

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश तिथि में वृद्धि बाबत।
संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक 1889/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 31.08.
2021

-----00-----

इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 03.07.2021 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका जारी की गई है।
2/ कोविड-19 संक्रमण एवं पोस्ट कोविड प्रभाव के कारण एवं छात्रहित में सीट रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु प्राचार्य स्तर से दिनांक 17.09.2021 तक एवं कुलपति की अनुमति से दिनांक 30.09.2021 तक प्रवेश दिये जाने की तिथि में राज्य शासन एतद्वारा वृद्धि करने की अनुमति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(गौरीशंकर शर्मा)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग